न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
49/2018/प्रा.पत्र/2018	16.08.2018	16.05.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री नारायण लाल बडाया पुत्र श्री जगदीश नारायण बडाया जाति महाजन निवासी चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक मैसर्स जगदीश नारायण लक्ष्मी नारायण चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक
2–मैसर्स जगदीश नारायण लक्ष्मी नारायण चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक
3–श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज.
4– मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज.
5–श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल निवासी डी–191–बी, जगदीश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर नॉमिनी मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्रा.लि. 64, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर
6– मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्रा.लि. 64, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी सं. 1ता. 4 अनु. तथा अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 व 6 श्री विजेन्द्र गोयल एड.।

:–निर्णय–: **दिनांक 16.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2018 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स जगदीश नारायण लक्ष्मी नारायण चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री नारायण लाल बडाया पुत्र श्री जगदीश नारायण बडाया, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नारायण लाल बडाया ने स्वयं को मैसर्स जगदीश नारायण लक्ष्मी नारायण चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ कागज के एक कार्टून में लगभग 20 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक एक लीटर पैक **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे देखने पर मिलावट की शंका हाने पर विक्रेता श्री नारायण लाल बडाया को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री नारायण लाल बडाया व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** 1–1 लीटर पैक के चार मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** के 1–1 लीटर पैक के चार मूल पैक के बराबर–बराबर 1–1 नग चार भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1854 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री नारायण लाल बडाया तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1854 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** का नमूना क्रय करते समय श्री श्री नारायण लाल बडाया ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किए एवं बतौर वारन्टी मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्रा. लि. 64, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर का बिल प्रेषित कर सरसों तेल क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्रा.लि. 64, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/624 दिनांक 13.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ किखाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/50/एक्ट/2018/56 दिनांक 23.02.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु कय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसके विरूद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज. ने अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के समक्ष पुनः जाचं रिपोर्ट हेतु फार्म नं. 8 प्रस्तुत कर अपील दायर की। इस बाबत उक्त नमूना अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक द्वारा निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर में जांच हेतु भिजवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/2008 दिनांक 09.07.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं. एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए (234एफ)/2018 दिनांक 09.07.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु कय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं. 1 ता 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से दिनांक 20.09.2019 को एडवोकेट श्री विजेन्द्र गोयल ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** का विकय कर रहे थे वह जांच में स्तर **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्राथीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्र[illegible] पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री नारायण लाल बडाया व अप्रार्थी सं. 3 श्री सुरेश चन्द जैन पर शास्ति रूपये 40,000–40,000 (अक्षरे चालीस–चालीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 5 श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल निवासी डी–191–बी,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जगदीश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर नॉमिनी मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्रा.लि. 64, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर पर शास्ति रूपये 75,000 (अक्षरे पचहत्तर हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

([illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0